सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 चैत्र, 1948 (श०)
संख्या - 194 राँची, गुरुवार, 16 अप्रैल, 2026 (ई०)

जल संसाधन विभाग

संकल्प

23 अप्रैल, 2026

सं॰सं॰- 01/स्था॰(कोर्ट केस)04-05/ 2023 -1410--

विषय:- श्री जलधर मंडल, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता (चालू प्रभार), जल संसाधन विभाग, देवघर को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान के संबंध में ।

श्री जलधर मंडल, सेवानिवृत मुख्य अभियंता(चालू प्रभार),जल संसाधन विभाग, देवघर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में दायर याचिका WP (S) No.-1769/2023 में दिनांक 07.08.2024 को निम्न न्याय निर्णय पारित किया गया :-

"7. In view of the aforesaid circumstances since the issue involved in this case has already attained finality and the respondents is agreeable for extending the same benefit what has been given to Chanda Hembram; the instant application is, hereby, disposed of by directing the respondent no.2 to

verify the documents of this petitioner and pass an order of payment in the light of judgment passed in the case of Chanda Hembram (Supra) and pay the difference of salary from the post of Executive Engineer and Superintending Engineer with effect from 27.01.2003 till 04.07.2010 and between the post of Superintending Engineer and Chief Engineer with effect from 05.07.2010 till the date of superannuation on 31.10.2022 and fix the pension accordingly. The entire amount shall be paid to the petitioner within a period of 16 weeks from the date of receipt/production of copy of this order.

8. Accordingly, the instant writ application stands allowed."

2. उल्लेखनीय है कि विषयक वाद WP (S) No.-1769/2023 में WP (S) No.-6618 /2013 चन्दा हेम्ब्रम बनाम झारखण्ड एवं अन्य को संज्ञान में लेते हुए श्री मंडल को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् उच्चतर पद पर कार्यरत अवधि के वेतन की अन्तर राशि की गणना करते हुए उक्त राशि का भुगतान करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा दिया गया है ।

3. विदित हो कि WP (S) No.-6618 /2013 चन्दा हेम्ब्रम बनाम झारखण्ड एवं अन्य में दिनांक 03.09.2021 को पारित न्याय निर्णय के अनुपालन में माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरान्त श्री चन्दा हेम्ब्रम, अधीक्षण अभियंता को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् उच्चतर पद पर कार्यरत अवधि के वेतन की अन्तर राशि का भुगतान कर दिया गया है ।

4. उक्त पारित न्यायादेश के विरुद्ध विभाग की ओर से माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में LPA No.-144/ 2025 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम जलधर मंडल दायर किया गया है ।

5. उपरोक्त वर्णित स्थिति में WP (S) No.-1769/2023 जलधर मंडल बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 07.08.2024 को पारित न्याय निर्णय का अनुपालन विभाग हेतु बाध्यकारी है।

6. श्री मंडल अपने ही वेतन मान्य में दिनांक 27.01.2003 से 04.07.2010 तक अधीक्षण अभियंता एवं दिनांक 05.07.2010 से 31.10.2022 तक मुख्य अभियंता के पद पर स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत्कार्यरत रहे हैं । माननीय न्यायालय के उपरोक्त न्याय निर्णय के आलोक में वर्णित अवधि में उनके द्वारा धारित उच्चतर पद के वेतन के अन्तर राशि का भुगतान उन्हें किया जाना है।

7. उच्चतर पद पर स्वतंत्र चालू प्रभार में कार्य करने के एवज मे किसी अतिरिक्त वेतन/भत्ता के भुगतान के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं है । सेवा संहिता के नियम - 58 एवं वित्तीय नियमावली के नियम-74 के आलोक में पद ग्रहण की तिथि से संबंधित Substantive पद का वेतन एवं भत्ता पदधारक को देय होता है।

8. यह मामला स्थापित वित्तीय नियमों के संगत नहीं है।साथ ही इस संबंध में राज्य सरकार अन्तर्गत कोई विशिष्टनियम प्रवृत नहीं है।

9. अतएव, उपरोक्त वर्णित स्थिति में WP (S) No.-1769/2023 जलधर मंडल में दिनांक 07.08.2024 को पारित न्याय निर्णय के अनुपालन हेतु महालेखाकार, झारखण्ड से वेतन पर्ची निर्गत होने के उपरान्त श्री जलधर मंडल को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत दिनांक 27.01.2003 से 04.07.2010 तक अधीक्षण अभियंता एवं दिनांक 05.07.2010 से 31.10.2022 तक मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन के अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती हैकि विषयगत मामले में दायर LPA No.-144/ 2025 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम जलधर मंडल में पारित अन्तिम न्याय निर्णय से यह अनुपालन आच्छादित होगा।

10. प्रस्ताव पर मद संख्या-37 दिनांक 12.03.2026 द्वारा मंत्रिपरिषद्, झारखण्ड सरकार से अनुमोदन प्रदत्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रशांत कुमार),
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 194 - 50